



BCCI

BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXIV

13th August 2014

No. 12

CM TO HOLD VAT, UDYAMI PANCHAYAT IN AUGUST IN CHAMBER

BIZ WORRIES A BCCI delegation draws Manjhi's attention towards restrictions imposed on plying of 10-wheeled vehicles on Mahatma Gandhi Setu



18.07.2014 21

Chief Minister Jitan Ram Manjhi has agreed to hold VAT and Udyami panchayat on the premises of Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) next month, the date for which would be finalised later.

Giving this information BCCI President P. K. Agrawal said the Chief Minister agreed to organise panchayat when a chamber delegation that called on him on Friday 18.7.2014 to apprise him of the problems of entrepreneurs and traders.

Members of the delegation drew Manjhi's attention towards the restrictions imposed on plying of 10-wheeled vehicles on the

THE CHAMBER MEMBERS APPEALED TO MANJHI NOT TO IMPOSE ENTRY TAX ON ALL COMMODITIES ARGUING THIS WOULD CREATE DIFFICULTIES FOR ENTREPRENEURS AND TRADERS

Mahatma Gandhi Setu. They said the restriction was affecting traders and industrialists besides adversely impacting the state's economic development.

The BCCI members urged the Chief Minister to allow plying of vehicles carrying weight up to 25 tonnes. "The Chief Minister informed the delegation that he had discussed the issue with the Prime Minister to solve the problem. He assured the BCCI that permission to allow vehicles with 25 tonne weight on the Setu would be considered," Agrawal stated.

He said the chamber appealed to Manjhi not to impose entry tax on all commodities arguing this would create difficulties for entrepreneurs and traders.

The Chief Minister told BCCI that unpractical and irrational increase in prices of BIADA land in all industrial areas up to 136 times would be reviewed. The chamber urged him to provide land at reasonable rate to entrepreneurs for industrial development of the state.

Former BCCI President O. P. Sah, Vice President Shashi Mohan, Honorary Treasurer Mukesh Kumar Jain, Secretary General A. K. P. Sinha, Former Vice President S. P. Gupta and executive committee members Amar Kumar Agrawal, Sawal Ram Drolia, Vishal Tekriwal and others were part of the delegation. (Source : Hindustan Times, 20.7.2014)

BIADA LAND PRICE HIKE IRRATIONAL, BCCI TELLS CHIEF SECRETARY

A delegation of Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI), led by its President P. K. Agrawal met chief secretary (CS) Anjani Kumar Singh and acquainted him with the problems facing the entrepreneurs and traders in the state.

"The Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) was set up by the state government with an objective to provide land to the entrepreneurs in the industrial areas at reasonable price for continuous industrial development along with basic infrastructure facilities like road, drainage, water, power; etc to create an investment friendly atmosphere in the State. But the BIADA, with effect from June 8, 2014, has enhanced the cost of land in all the industrial areas of the state up to 136 times, which is completely unpractical and irrational," Agrawal told Singh.

He said "the minimum value register (MVR) has also been enhanced by amending Bihar Stamp (Prevention of Under Valuation of Instruments) Amendment Rules, 2013. According to this, the highest rates mentioned in the five sale deeds for the land sold in a year in the area concerned and the average of those five highest rates will determine the MVR which is the circle rate and this will be updated every year."



18.07.2014 13:11

Agrawal also informed the CS about the proposal of the commercial taxes department to impose entry tax on all the commodities entering the state and the adverse effect it will have on the industry and trade in the state. He also drew the Chief Secretary's attention towards the fact that the residual amount of subsidy given by the industry department lapses after March 31, 2015. The residual amount should be made available to a society like Udyog Mitra as is the practice in respect of food processing industry.

(Source : T. O. I, 17.7.2014)

STRENGTHEN CHECK POSTS TO STOP TAX EVASION SAYS BCCI

Maintaining, the introduction of entry tax on all commodities would not only lead to duplication of work but also render local industries an unviable proposition, Bihar Chamber of Commerce on 15.07.2014 urged the government to strengthen check posts, if it intended to check tax evasion. Leading a delegation of BCCI members, the Chamber President called on ELSN Bala Prasad, Commissioner, Commercial Taxes, to apprise him with the difficulties and also, the harassment faced by entrepreneurs and traders under the VAT regime in the state.

"The chances of setting new industries would be severely compromised. Existing ones will have to close shop on account of increase input cost," he said. Large industries would become completely unviable as the entry tax paid by them on raw materials and plant and machinery cannot be adjusted in the VAT paid.

Moreover, commodities manufactured by them would become expensive and they would not be able to compete with similar products produced within as well as outside, the Chamber President said.

He said, trade and industry was perplexed at the prospect of getting embroiled in tax wrangles at a time when government intends to simplify the tax laws but has come up with such an unpractical decision.

"The government, which has also constituted a Task Force to encourage manufacturing sector, should also mull over the impact of such decision on the capital cost," he said.



He also acquainted Prasad with the difficulties faced by traders in the issuance of 'Form C' and requested him to initiate steps for streamlining the reimbursement of VAT under Industrial Incentive Policy.

The commercial taxes commissioner cum secretary, it is learnt, assured to look into their suggestions and initiate necessary action.

The delegation included former BCCI President O. P. Sah, Hon. Treasurer Mukesh Kumar Jain, Secretary General A. K. P. Sinha, Chairman of the chamber's VAT sub-committee Navin Kumar Motani, former vice president P. K. Singh and executive members Vishal Takiwal, Shiv Kumar Poddar and Utpal Kumar Sen.

(Source : Hindustan Times, 16.7.2014)

प्रवेश कर से बंद होंगे उद्योग : चैंबर

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि सभी वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाने से प्रदेश में उद्योग बंद हो जाएंगे। नए उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव डॉ. ईएलएसएन बाला प्रसाद से मिलकर उन्हें बैठक से हो रही परेशानियों के बारे में बताया था। इसमें कहा गया कि प्रवेश कर के लिए उद्यमियों और व्यापारियों को अलग से पंजीकरण कराना होगा। अलग से विवरणियां दाखिल करनी होंगी। यह उचित नहीं है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.7.2014)

गंगा रथ का चैंबर ने किया स्वागत



गंगा की पवित्रता, स्वच्छता एवं निर्मलता हेतु दैनिक जागरण के "गंगा जागरण अभियान" का गंगा रथ दिनांक 18 जुलाई 2014 को कारगिल चौक पहुँचा था। गंगा रथ का स्वागत करने हेतु चैंबर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द एवं श्री राजेश जैन उपस्थित हुए।

जीएसटी से बाहर हो सकते हैं कुछ उत्पाद

आर्थिक सुधारों के एक अहम हिस्से वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) पर राज्यों के साथ सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार कुछ उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखने पर राजी हो सकती है। लंबे समय से अटकते हुए जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने को लेकर सरकार गंभीर है। इसमें और देरी न हो इसके लिए राज्यों के हितों को प्राथमिकता देने को केंद्र कमोबेश तैयार है।

राज्य लगातार कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखने का दबाव केंद्र पर बना रहे हैं। राज्यों के साथ हो रही बातचीत में सहमति बनाने की दिशा में ये उत्पाद रोड़ा बनते रहे हैं। यही वजह है कि इसके लागू करने का लक्ष्य चार साल पीछे छूट चुका है, मगर इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। जीएसटी को लेकर केंद्र व राज्यों के साथ करीब सात साल से बातचीत चल

रही है।

वित्त मंत्री ने इसके संकेत दिए कि जीएसटी को जल्द लागू करने के लिए सरकार कुछ उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखने पर भी सहमत हो सकती है। जेटली ने कहा 'बेस्ट जीएसटी पाने की जगह हम गुड जीएसटी पर समझौता कर सकते हैं।"

विस्तृत : दैनिक जागरण, 15.7.2014)

चैंबर द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण-पत्र एवं सिलाई मशीन वितरित

• सिलाई ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को मिला प्रमाण-पत्र • आर्थिक रूप से कमजोर प्रशिक्षित एवं चयनित महिलाओं को मिला सिलाई मशीन • कम्प्यूटर सहित कई विधाओं पर शुरू होगा प्रशिक्षण।

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से दिनांक 01.08.2014 को महिलाओं के लिए संचालित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के तहत दो सत्रों में प्रशिक्षण ग्रहण करने वाली महिलाओं को प्रमाण-पत्र एवं चयनित प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित किया गया।



अपने संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि बिहार में पाँच साल में एक करोड़ लोगों का कौशल विकास करना है। इस वर्ष का लक्ष्य 16 लाख है। चैम्बर भी इस अभियान को सफल बनाने में जुटा है। चैम्बर प्रांगण में ही कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। प्रशिक्षण का प्रथम बैच दिनांक 10 फरवरी, 2014 से शुरू हुआ और दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को बैच का समापन हुआ। इसमें 68 महिलाओं एवं लड़कियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। दूसरा बैच 01 मई, 2014 से शुरू हुआ और समापन 31 जुलाई, 2014 को हुआ। 70 महिलाओं और लड़कियों ने इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रकार अब तक करीब 140 महिलाएं एवं लड़कियाँ लाभान्वित हुईं। तीसरे बैच के लिए भी करीब 80 महिलायें एवं लड़कियों का आवेदन प्राप्त हुआ है। सिलाई-कढ़ाई के बाद अब कम्प्यूटर का प्रारंभिक प्रशिक्षण भी शुरू किया जाएगा।

A. चैम्बर के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए श्रम-संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि चैम्बर से प्रशिक्षित महिलाओं के प्रमाण-पत्र को मान्यता दिलाने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि महिलायें एवं लड़कियों को अब उच्च तकनीक एवं नये डिजाईन सीखने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ कारपोरेट हाउसेस यथा रेमण्ड कंपनी से बात की जा सकती है।

B. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बिहारी परिश्रम के साथ संतुष्ट रहने वाले हैं। ऐसे में विदेश में प्रशिक्षित लोगों से बिहार की काफी लाभ होगा। इसके साथ ही नये उद्योग भी आयेंगे। श्री वर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को PMEGP के तहत मशीन खरीद के लिए ऋण मिलेगा। कौशल विकास में चैम्बर के प्रयास की श्री वर्मा ने सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने टेलरिंग का प्रशिक्षण लिया है वे गार्मेंट फैक्ट्री में काम कर सकती हैं या अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं।

चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन ने प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की।

आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति की श्रीमती गीता जैन जिनके समन्वयन में प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, ने अपने अनुभव प्रस्तुत किये।

चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा सहित चैम्बर के सदस्य, गणमान्य व्यक्ति तथा प्रेस बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम का मंच संचालन उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने किया तथा महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

चैम्बर द्वारा संचालित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की प्रगति पर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन द्वारा प्रस्तुत एक संक्षिप्त रिपोर्ट :-

भारत सरकार एवं बिहार सरकार का कौशल विकास पर काफी जोर है और आगामी पाँच वर्षों में बिहार में एक करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य है। इस वर्ष का लक्ष्य 16 लाख का है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास के कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु एक गर्वनिंग काउन्सिल बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण, उनमें कौशल एवं हुनर में वृद्धि एवं महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने हेतु बिहार सरकार काफी प्रयत्नशील है। बिहार सरकार के इस सदप्रयास को मूर्त रूप देने एवं अपनी भागीदारी निभाने तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने प्रांगण में एक निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र,

आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि० के सहयोग से स्थापित किया है। जिसकी समन्वयक श्रीमती गीता जैन हैं।

इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2014 को हुआ था। इसके प्रथम बैच का प्रशिक्षण 10 फरवरी, 2014 से प्रारम्भ हुआ। प्रथम बैच में दो पालियों में 70 महिलाओं ने प्रशिक्षण ग्रहण किया। प्रत्येक पाली 3 घंटे की थी और 35.35 प्रशिक्षु महिलाएँ प्रत्येक पाली में थी। दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को प्रथम बैच की परीक्षा हुई जिसमें 68 प्रशिक्षार्थी महिलाएँ शामिल हुईं। 30 अप्रैल, 2014 को प्रथम बैच का समापन हुआ।



प्रशिक्षण केंद्र का दूसरा बैच 01 मई, 2014 से प्रारम्भ हुआ। इस बैच में 75 महिलाएँ प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रथम बैच की भाँति दूसरा बैच भी 2 पालियों (एक पाली 3 घंटे की) चल रही है। दिनांक 23 जुलाई, 2014 को दूसरे बैच की प्रशिक्षु महिलाओं की परीक्षा ली गयी। तकरीबन 70 प्रशिक्षु महिलाएँ परीक्षा में सम्मिलित हुईं। इस सत्र का समापन भी 31 जुलाई, 2014 को हो गया, दोनों बैच में प्रशिक्षण दो प्रशिक्षिकाओं सुश्री ममता सिन्हा एवं श्रीमती दुर्गा बर्नार्जी द्वारा दिया गया, जिन्हें मानदेय चैम्बर द्वारा दिया जाता है। चैम्बर कार्यालय की सुश्री माधवी सेन गुप्ता इस प्रशिक्षण केंद्र की इंचार्ज हैं।

दोनों बैच की प्रशिक्षु महिलाओं को मुख्यतः 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें:- जाधिया, 6 कली का पेटिकोट, 4 कली का पेटिकोट, सिम्पल फ्रॉक, बेबी फ्रॉक, तकिया कवर, बेबी पैट, नाईटी, पैजामा, ब्लाउज, सलवार तथा समीज आदि शामिल हैं।

चैम्बर ने प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन अपने हाते में निःशुल्क उपलब्ध कराया है। सिलाई मशीन एवं आवश्यक फर्निचर आदि भी प्रशिक्षण केंद्र के लिए खरीदकर उपलब्ध कराया है।

इसी बीच सावन माह को देखते हुए 10 दिनों का मेंहदी कला का प्रशिक्षण करीब 30 महिलाओं को दिया गया। मेंहदी कला का प्रशिक्षण श्रीमती मधु जैन ने दिया।

तीसरे बैच के लिए प्रशिक्षण लेने को करीब 70-80 महिलाएँ कतार में हैं। तीसरा बैच 2.3 दिनों में प्रारम्भ होगा। सम्भवतः कम्प्यूटर का प्रारंभिक प्रशिक्षण भी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। इसी तरह क्वील्ट बैग, हाउस कोपिंग, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली क्राफ्ट, एप्लीक वर्क, मोबाईल रिपेयरिंग आदि विधाओं में भी प्रशिक्षण देने की मंशा है।

चैम्बर की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलम्बी बनें।

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्री नवीन वर्मा, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव उद्योग विभाग, श्री गंगा कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के राजदूत एवं अन्य अधिकारियों, बीरगंज स्थित कस्टम कार्यालय में नियुक्त भारतीय कन्सुलेट जनरल श्रीमती अंजू रंजन एवं अन्य अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जा चुका है और सबों ने चैम्बर के इस प्रयास की अत्यंत सराहना की है।

आज का दिन हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य एवं संतोष का दिन है क्योंकि इस प्रशिक्षण केन्द्र के प्रेरणास्रोत श्री नवीन वर्मा, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग प्रथम बैच की प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु पधारे हैं। हमारे लिए यह और भी गौरव की बात है कि चैम्बर द्वारा 11 प्रशिक्षण प्राप्त एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर महिलाओं को सिलाई मशीन नि:शुल्क दी जा रही है ताकि वे पूर्ण रूप से स्वावलंबी बन सकें। इस महती कार्य में चैम्बर के जिन सदस्यों का सहयोग रहा है, हम उनके अत्यंत आभारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में श्री नवीन वर्मा जी के साथ ही पधारे हुए श्री संजय कुमार, भा०प्र०से०, सचिव श्रम संसाधन विभाग, श्री सुरेश कुमार सिन्हा, भा०प्र०से०, श्रमायुक्त, श्री शशैल ठाकुर, उद्योग निदेशक, श्री गंगा कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, श्री अरुण कुमार, भा०प्र०से०, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, श्री रविन्द्र प्रसाद, आई०टी०एस०, निदेशक तकनीकी विकास, उद्योग विभाग के भी अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर चैम्बर में आने की कृपा की। साथ ही हम इस कार्यक्रम में आये चैम्बर के पदाधिकारीगण, माननीय सदस्यगण, अन्य अतिथिगण एवं प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं के प्रति भी आपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

जय हिन्द

टैक्स टेरिज्म को हम खत्म करेंगे : जेटली

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा टैक्स सिस्टम को बदलने पर जोर दिया है। उन्होंने इसे 'टैक्स टेरिज्म' बताते हुए भरोसा दिलाया कि इसे खत्म किया जाएगा।

लोकसभा में आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने कहा, 'सरकार टैक्सेशन में उदारता की पक्षधर है। वह टैक्स टेरिज्म की धारणा तोड़ना चाहती है। हमारा मानना है कि अगर टैक्स दरें ज्यादा होंगी तो उत्पाद महंगे होंगे। लोग उन्हें कम खरीदेंगे। टैक्स दरें कम रहेंगी तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। हम इसी के पक्ष में हैं।' वित्त मंत्री के जवान के बाद सदन ने आम बजट को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

जेटली ने अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने का रोडमैप बताया

• टैक्स व्यवस्था में नरमी लाई जाएगी। • टैक्स दरें और कर्ज को दरें कम रखी जाएंगी। • सब्सिडी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। • बुनियादी ढांचे और आवासीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

'जिसे जरूरत हो, उसी को मिले सब्सिडी'

"मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था में आपको और हमें (सांसदों को) भी विभिन्न उत्पादों पर सब्सिडी मिल रही है। जबकि हमें इसकी जरूरत नहीं। हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था बदले। सक्षम लोग सब्सिडी से अलग रहें और जो वाकई जरूरतमंद हैं, उसे सब्सिडी का लाभ मिले।" – अरुण जेटली, वित्त मंत्री

(साभार : दैनिक भास्कर, 19.7.2014)

रोड परमिट पर इंटी व आउट चेकपोस्ट की मुहर अनिवार्य

ट्रांसपोर्ट एवं व्यापारियों को रोड परमिट पर इंटी व आउट चेकपोस्ट का मुहर अनिवार्य हो गया है। यह नियम रोड परमिट डी-VII, डी-IX एवं डी-X पर लागू होगा। यानी जो ट्रक राज्य के बाहर से आता है और बिहार होते हुए राज्य के बाहर चला जाता है, उसपर यह नियम लागू होगा।

यदि कोई ट्रक दूसरे राज्य से बिहार के लिए आता है, तो भी उसे इंटी चेकपोस्ट से गुजरना ही होगा। बिना चेकपोस्ट पर इंटी किए अगर कोई ट्रक ऑपरेंटर दूसरे रूट से बिहार में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.7.2014)

BIHAR TO BE ELECTRONIC GOODS HUB, SAYS RAVI SHANKAR

Communications Minister Ravi Shankar Prasad declared that the Union government wanted Bihar to develop as a hub of electronic goods.

Speaking at the executive meeting of the state B J P. Prasad said the setting up of manufacturing units for electronic goods would help generate employment and increase revenue in Bihar.

"I have written a letter to state Chief Minister Jitan Ram Manjhi expressing the Centre's desire to start factories for manufacturing electronic goods in the state," he said. The state would just be required to prove land at suitable places for establishing the units," he added.

(Delisle : H. T. , 20.7.2014)

BIADA LAND RATE - COMPARATIVE REPORT

Sl. No.	Name of Industrial Area	Present BIDA Enhanced New Land Rate (Lac Per Acre) w.e.f. 18.06.2014	Earlier BIADA Rate Rs. (Lac . Per Acre)	% Increase	Remarks
BHAGALPUR					
1.	Barari (LIE)	385	8.82	4365.08	Almost 44 Times
2.	Kishanganj (Kharga)	315.25	9.52	3311.45	Almost 33 Times
3.	Kishanganj (Bhediadangli)	35.25	9.52	370.27	
4.	Forbesganj (IE)	151.88	3.31	4588.52	Almost 46 Times
5.	Jamalpur (IA)	233.63	7.8	2995.26	Almost 30 Times
6.	Kahalgaon (GC)	36.42	9.52	382.56	
7.	Katihar (IE)	40	4.71	849.26	
8.	Lakhisarai (IA)	93.75	4.82	1945.02	
9.	Maranga (GC)	258.33	6.27	4120.10	Almost 41 Times
10.	Munger (IA)	468.44	3.9	12011.28	Almost 120 Times
11.	Purnea City (IE)	313.34	4.86	6447.33	Almost 64 Times
12.	Sitakund (IA)	96.1	10.25	937.56	
DARBHANGA					
1.	BELA (IE)	429.19	10.47	4099.24	Almost 41 Times
2.	Dharampur (IE)	381.83	6.27	6089.79	Almost 61 Times
3.	Donar (IA)	120.5	5.36	2248.13	
4.	Jhanjharpur (IE)	379	5.8	6534.48	Almost 65 Times
5.	Khagariya (GC)	32.5	7.76	418.81	
6.	Murliganj (IE)	355	2.6	13653.85	Almost 136 Times
7.	Pandaul (IA)	47.5	3.65	1301.37	
8.	Saharsa (IE)	437.5	5.02	8715.14	Almost 87 Times
9.	Samastipur (IE)	114.75	8.9	1289.33	
10.	UdaKishanganj (GC)	212.5	12.38	1716.48	
MUZAFFARPUR					
1.	Betiah (IA)	173.7	5.56	3124.10	Almost 31 Times
2.	Kumrabbagh (IA)	24.25	5.55	436.94	
3.	Bela, Muzaffarpur (I/IA)	445.84	51.76	861.36	
4.	Bela, Muzaffarpur (I/IE)	445.84	51.76	861.36	
5.	Ramnagar (IA)	186.25	7.4	2516.89	
6.	Raxaul (IA)	250	7.92	3156.57	Almost 31 Times
7.	Sitamari (IA)	447.5	22.29	2007.63	
8.	Siwan (IA)	108	8.52	1267.61	
PATNA					
1.	Aurangabad (GC)	221	31.24	707.43	
2.	Aurangabad (IA)	32.5	11.67	278.49	
3.	Barauni (IA)	181.03	11.5	1574.17	
4.	Barun (IA)	150	5.46	2747.25	
5.	Biharsharif (IA)	415.83	166.91	249.13	
6.	Bihiya (IA)	359.13	8.05	4461.24	Almost 44 Times
7.	Bihta (IA)	267.57	51.83	516.25	
8.	Bihta (MIP)	267.57	51.83	516.25	
9.	Bikramganj (IA)	527.49	9.48	5564.24	Almost 55 Times
10.	Buxar (IA)	319.5	10.4	3072.12	
11.	Dehri-on-Son (IA)	186	7.31	2544.46	
12.	Fatuha (IA)	413.75	50.6	817.69	
13.	Gaya (IA)	79.74	17.25	462.26	
14.	Gidha (GC)	60	11.95	502.09	
15.	Hajipur (EPIP)	395	66.91	590.35	
16.	Hajipur (IA)	675.62	165.83	407.42	
17.	Jehanabad (IA)	438.33	10.13	4327.05	Almost 43 Times
18.	Kopakalan (IA)	114.38	0		
19.	Nawada (IA)	112.75	7.8	1445.51	
20.	Patliputra (IA)	1495.85	236.55	632.36	
Total		13732.08	1244.97	1103.00	

बैंक खाता खोलने के लिए ई आधार को भी मान्यता

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक ओर अपने ग्राहकों को जानो (केवाईसी) नियमों के तहत मान्य कागजातों के दायरे का विस्तार करते हुए ई आधार और ई केवाईसी को भी इसमें शामिल कर लिया है तो दूसरी तरफ इस दायरे को सख्ती से लागू करते हुए अधिसूचित कागजात के अलावा किसी अन्य कागजात को मान्यता देने का बैंक का अधिकार समाप्त कर दिया है। आरबीआई ने अधिसूचना जारी कर कहा कि अब ई आधार और ई केवाईसी भी प्रवेशन ऑफ मनी लांड्रिंग कानून के तहत आधिकारिक तौर पर मान्य कागजात में शामिल होंगे।

(साधार: दैनिक भास्कर, 22.7.2014)

ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं बैंक

सभी बैंक सीडी रेशियो बढ़ाएं। अधिक से अधिक लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिले में लोगों द्वारा बैंकों में जो राशि जमा कराई जा रही है, यह बेहतर होगा कि उस राशि का उपयोग स्थानीय आर्थिक विकास के लिए किया जाए। प्रभार ग्रहण करने के बाद नए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में सभी प्रबंधकों को यह निर्देश जारी किया।

उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण देने में बैंकों को सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की जरूरत है। शिक्षा आर्थिक विकास की जड़ है। इसके देखते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने जा रहे विद्यार्थियों के प्रति बैंकों का रुख लोभ देने में उदार होना चाहिए। डीएम ने कहा कि छोटे व्यवसायी बैंकों तक नहीं पहुंच पाते। लोन को लेकर उनके मन में कंफ्यूजन की स्थिति होती है। उन्हें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटेस्ट के तहत चार फीसदी ब्याज पर 15 हजार रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैंक प्रबंधक राजेश कुमार ने सभी बैंकों की ओर से नए डीएम का स्वागत किया। बैठक में रिजर्व के उप महाप्रबंधक तापस दास, नाबार्ड की अनुकंपा झा और सभी बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद थे।

(साधार: दैनिक भास्कर, 22.7.2014)

अब एक दिन में विलय होगा अकाउंट पेई चेक

अकाउंट पेयी चेक का भुगतान अभी तीन दिन में होता है। रिजर्व बैंक क्लियरिंग तरीकों में बदलाव ला रहा है। इससे अकाउंट पेई चेक का भुगतान एक दिन में हो सकेगा। दिल्ली और मुंबई में इस पर ट्रायल भी शुरू हो गया है।

रिजर्व बैंक की योजना के तहत देशभर के क्लियरिंग सिस्टम को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। बैंकों से चेक दस्तावेज के रूप में क्लियरिंग सेंटर तक नहीं जाएंगे। ग्राहक जिस बैंक में चेक देंगे, वहीं पर उन्हें स्कैन कर क्लियरिंग हाउस भेज दिया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने पर जहां क्लियरिंग के लिए चेक पेश होगा, वहां फौरन भुगतान हो सकेगा।

(साधार: दैनिक भास्कर, 20.7.2014)

नोटिफिकेशन और सर्कुलर

- 1) टोल टैक्स वाली सड़क बनाने पर बिल्डर / टेकेदार को इस सड़क की लम्बायत पर ह्रास (घिसाई) नहीं मिलेगा।
सर्कुलर नं. 9/2014 दिनांक 23 अप्रैल, 2014
- 2) इन्कम टैक्स डिमाण्ड को सही करने हेतु।
प्रेस नोट नं. 402/92/2006- MC दिनांकित 17 अप्रैल, 2014
- 3) एक कम्पनी के दूसरी कम्पनी में विलय (Amalgamation) पर आयकर सम्बन्धी
CBDT Letter No. 279 /MISC./M- 171/2013-ITJ दिनांकित 11 अप्रैल, 2014
- 4) अब फार्म FTR-IITR-2 व ITR-4s की ऑनलाईन फाईलिंग शुरू
- 5) पीपीएफ व सीनिपर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर नोटिफाई
सर्कुलर DGBA. CDD. NO. 5342/ 15-02-001/2013-14, दिनांकित 21 मार्च, 2014
- 6) TTY-V बैंगलोर भेजने की तिथि बढ़ाई
- 7) सरकारी विभाग की टीडीएस व टीसीएस रिटर्न में देरी पर लेट फीस में माफी। सर्कुलर नं. 7/2014 दिनांक 4 मार्च, 2014

विस्तृत जानकारी के लिए चैम्बर में सम्पर्क।

(साधार : टैक्स पत्रिका जून, 2014)

घर बैठे जानिए प्रॉपर्टी टैक्स, ऑनलाइन भरिए

होलिडिंग टैक्स जमा करने और प्रॉपर्टी का एसेसमेंट कराने के लिए अब निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए नगर निगम के कर संग्राहक भी अब आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। नगर निगम ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे दी है। पिछले दिनों में दो हजार से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। लोग ptax.nagarseva.in पर या पटना नगर निगम की वेबसाइट से भी इस साइट पर जाकर सीधे रिटर्न भर सकते हैं। परेशानी हो तो यहाँ फोन करें - 0612-3095555

ऐसे भरें रिटर्न (जो होलिडिंग टैक्स दे रहे हैं) : • 1. वेबसाइट पर लॉगिन करें • 2. सेल्फ एसेसमेंट फार्म भरें • 3. फार्म में वार्ड नंबर, सर्किल नंबर, प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल, पुरानी होलिडिंग रसीद का नंबर, होलिडिंग नंबर व मालिक का नाम आदि भरना है • 4. फार्म के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी हो तो दें • 5. आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा • 6. वेरिफिकेशन कोड डालकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

नए एसेसमेंट के लिए : • 1. वेबसाइट पर लॉगिन करें • 2. सेल्फ एसेसमेंट फार्म भरें • 3. फार्म में वार्ड नंबर, सर्किल नंबर, प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल, आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी, बिजली बिल की फोटो कॉपी, डीड को फोटो कॉपी व मालिक का नाम आदि भरें • 4. मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दें • 5. वेरिफिकेशन कोड मिलेगा • 6. वेरिफिकेशन कोड डालकर रिटर्न फाइल करें।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 19.7.2014)

ट्रांसफार्मर न बदले तो करें फोन

तय समय में जले या खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने दो टेलीफोन नंबर जारी किए हैं। 17 जिलों के उपभोक्ता कार्यदिवस में इन नंबरों पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में 24 घंटे तो ग्रामीण इलाके में 72 घंटे के भीतर जले या खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने का प्रावधान किया है।

इस नंबर पर करें फोन - 0612: 2504900/2504999 (साधार:हिन्दुस्तान, 19.6.2014)

अपने बिजली बिल का खुद लगाएं अनुमान

उपकरण	वाट	उपयोग प्रतिदिन/घंटे	प्रति माह खर्च होने वाला यूनिट
बल्ब	40	06	07
बल्ब	60	06	11
फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट	40	10	12
नाइट लैंप	15	10	4.5
मच्छर भगाने की मशीन	05	10	1.5
पंखा	60	15	27
एयर कूलर	175	08	42
एयरकंडीशनर	1500	06	270
रेफ्रिजरेटर	225	15	101
मिक्सर / ब्लेंडर	450	01	13.5
टोस्टर	800	0.5	12
ओवन	1000	01	30
इलेक्ट्रिक केतली	1500	01	45
इलेक्ट्रिक आयरन	1500	01	45
इमर्सन रॉड	1000	01	30
वैक्यूम क्लिनर	700	0.5	11
वाशिंग मशीन	300	01	09
वाटर पंप	750	01	22.5
टीवी	100	10	30
ऑडियो सिस्टम	50	02	03

अवर रही शर्तों की सरवती

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने और भुगतान बैंक स्थापित करने के बारे में दिशानिर्देश का जो मसौदा कल जारी किया था, वह छोटी रकम के कर्ज देने वाली कंपनियों (एमएफआई) को रास नहीं आया है। आरबीआई एमएफआई को छोटे बैंकों में बदलने को तैयार है, लेकिन थोड़े से इलाकों में ही सेवाएं देने की और नेटवर्क की जो शर्तें उसने रखी हैं, उनकी वजह से ज्यादातर एमएफआई इसके लिए राजी नहीं हैं।

● ज्यादातर एमएफआई नेटवर्क मानदंड और सीमित परिचालन शर्तों को लेकर रह सकते हैं इससे दूर ● हालांकि प्यूचर समूह जैसे रिटेलर भुगतान बैंक के लिए कर सकते हैं आवेदन ● भुगतान बैंक शुरू होने से सरकारी प्रतिभूतियों का भी बढ़ेगा कारोबार ● ज्यादातर एमएफआई का कई राज्यों में फैला है कारोबार
(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19.7.2014)

जरूरत पड़े तो इनसे करें संपर्क

अधिकारी	पदनाम	फोन नंबर
प्रत्यय अमृत	सचिव	0612-2504210/2504189
विनोदानंद झा	उप सचिव	0612-2504158
धनंजय पांडेय	निदेशक, ब्रेडा	9470667185
जितेन्द्र श्रीवास्तव	एमडी, बीएसपीजीसीएल	0612-2504495
संजय कुमार सिंह	एमडी, बीएसपीटीसीएल	0612-2504442
बी. डी. मुग्गन	एमडी, एनबीएसपीडीसीएल	0612-2504044
आर. लक्ष्मणन	एमडी, एसबीएसपीडीसी	0612-2504445
दयानिधान पांडेय	एमडी, बीएसएचपीसी	0612-2227746
यू. एन. पंजियार	चेयरमैन, बीईआरसी	9431201456
बीरेन्द्र प्रसाद	चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर	9934834977
एस. एस. श्रीवास्तव	जीएम सह सीई	0612-2234020

पेसू हेल्पलाइन नंबर

0612-2280024, 0612-2280014, 18003456198 (टोल फ्री)

पेसू के महाप्रबंधक (जीएम) - 7763814048 ● पेसू पश्चिम अधीक्षण अभियंता - 7763814049 ● पेसू पूर्वी अधीक्षण अभियंता - 7763814116
(साभार : हिन्दुस्तान पत्रिका "बिजली बचाए भविष्य बचाए")

पटना में मेट्रो का 36 किमी लंबा रूट तय

28 शहरों में मलिन बस्तियों के उद्धार के लिए 401 करोड़

राज्य के 24 शहरों में शीघ्र ही जलापूर्ति योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 116 करोड़ मंजूर किए गए हैं। अब तक 19 स्थानों पर इस बाबत जमीन भी उपलब्ध हो गई है। 28 शहरों में मलिन बस्तियों के उद्धार के लिए भी 401 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पटना के लिए मास्टर प्लान तैयार हो गया है। इसे एक माह में सार्वजनिक कर लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार ने शहर में चलने वाले प्रस्तावित मेट्रो के लिए 36 किलोमीटर लंबा रूट तय कर दिया है।

● देश का दूसरा सबसे बड़ा बस स्टैंड बनेगा पटना में ● शहरों की जलापूर्ति योजना पर काम जल्द ● केन्द्र से बिहार के 20 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग।
(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.7.2014)

ई-टिकट बुकिंग में चुन सकेंगे कोच और बर्थ भी

अपनी रेल यात्रा का ई-टिकट बुक कराने वाले यात्री जल्द ही अपनी सीट का नंबर और कोच संख्या भी चुन सकेंगे। रेलवे सूत्रों के अनुसार, इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अपनी साइट (irctc.co.in) पर यह सुविधा शुरू करने वाला है। 15 अगस्त से इस सुविधा के मिलने की संभावना जताई जा रही है।

रेलमंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने बजटीय भाषण में कहा था कि 2014-15 वित्त वर्ष में ऑनलाइन टिकटिंग सुविधाओं का विस्तार होगा। लोग ट्रेन, कोच और सीट ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। इसी के मद्देनजर यह सुविधा शुरू की जा रही है। आईआरसीटीसी लगातार रेल टिकटिंग को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में उसने अपनी वेबसाइट को भी अपग्रेड किया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.7.2014)

200 करोड़ मिले, आठ माह का इंतजार और

11 वर्षों से बन रहे साहेबपुरकमाल-मुंगेर रेल सह सड़क पुल को रेलवे मंत्रालय ने दो सौ करोड़ आवंटित कर दिया है। मार्च 2015 तक पुल बनकर तैयार हो जायेगा। अरविंद टेकनो व गैमन इंडिया के सैकड़ों मजदूर पुल को अगले वर्ष तक पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। पुल का 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है।

● साहेबपुरकमाल-मुंगेर रेल सह रोड पुल देश का तीसरा व प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा रेल सह रोड ब्रिज है ● 3.19 किमी है इस पुल की लंबाई, 10.5 मीटर है चौड़ाई, पुल में 30 स्पैन होंगे ● एनएच 31 व एनएच 80 को जोड़ने वाला पुल 2362.57 करोड़ की लागत से बनना है ● बरौनी-कटिहार व साहेबगंज रेल लूप को जोड़ेगा यह पुल
(साभार : दैनिक भास्कर, 21.7.2014)

आईआरसीटीसी से ई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों से फोन पर रेलवे अधिकारी लेंगे जानकारी

चलती ट्रेन में यात्रियों से पूछेगा रेलवे, कौसा लगा खाना

52-53 लाख खाने की प्लेट की खपत है भारतीय रेल में रोजाना, रेलवे के आंकड़ों के अनुसार

खानपान की समस्या की शिकायत यहां करें : ● खान-पान संबंधी शिकायत के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800111321 पर फोन कर सकते हैं ● चलती ट्रेन में ट्रेन सुप्रीटेंडेंट से शिकायत पुस्तिका मांगकर भी अपनी परेशानी दर्ज करा सकते हैं ● स्टेशनों पर डिप्टी स्टेशन सुप्रीटेंडेंट के पास शिकायत पुस्तिका में भी अपनी समस्या रख सकते हैं ● शिकायत करते वक्त अपना फोन नंबर जरूर लिखें, ताकि रेल अधिकारी आपसे संपर्क कर सकें। (विस्तृत: हिन्दुस्तान, 21.7.2014)

कुछ क्षेत्रों में निजी परिचालन को मंजूरी दे सकता है रेलवे

तेज रफ्तार रेल परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार परिचालन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति दे सकती है। निजी परिचालन को समर्पित मालवाहक लाइनों और सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) के तहत आने वाली कनेक्टिविटी योजनाओं में भी अनुमति मिल सकती है।

बदलाव की तैयारी में रेल मंत्रालय : ● तेज रफ्तार नेटवर्क, समर्पित मालवाहक लाइनों और पीपीपी मॉडल के तरह कनेक्टिविटी परियोजनाओं में मिल सकती है अनुमति ● रेलवे की निगरानी में हो सकता है किराये का मसला ● जेआईसीए, विश्व बैंक और एसएनसीएफ को तेज रफ्तार रेल परियोजना हेतु धन मुहैया कराने में रुचि।
(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.7.2014)

बिहार-यूपी में बनेंगे 50 बौद्ध सर्किट

बढ़ते रोजगार के अवसर दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बिहार और उत्तर प्रदेश में बौद्ध और अन्य विदेशी पर्यटकों को रिझाने के लिए 50 बुद्ध मेगा पर्यटन सर्किट को विकसित किया जाएगा। इस पर आने वाले समय में भारी निवेश होगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही स्थानीय कारोबारियों को लाभ मिलेगा। केन्द्र की इस योजना में निजी निवेश और राज्य सरकार की भागीदारी भी होगी।

यहां होगा निवेश : बिहार : पटना, बोधगया, चंपानगर, भागलपुर, दोना, गुरपा, हाजीपुर, बराबर गुफा, जेतिया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, कुर्कितहारा।

क्या है बौद्ध सर्किट? बौद्ध सर्किट वह मार्ग है, जहां बुद्ध के चरण पड़े थे। नेपाल के लुम्बिनी में वे पैदा हुए, बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।
(साभार : दैनिक भास्कर, 20.7.2014)

अगला वर्ष व्यापारियों के लिए होगा फायदेमंद

वर्ष 2015 व्यापारियों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। इसका कारण यह है कि एक अप्रैल 2015 से वैट की जगह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का केन्द्र सरकार प्रयास कर रही है। इसमें सामान एवं सेवाओं पर एक ही दर से टैक्स लगेगा।

इसके लागू होने से व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि सारा

काम कंप्यूटर से ऑनलाइन होगा और व्यापारियों को कम से कम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा।

व्या है जीएसटी : जीएसटी मौजूदा प्रणाली के समान है। या फिर यों कहिए कि जीएसटी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर का वैट है। यह कर वैट की तरह हर स्तर पर वस्तुओं की बिक्री या सेवा की अदायगी पर लगेगा। इसमें सामान एवं सेवाओं पर एक ही दर से टैक्स लगेगा।

जीएसटी कैसे काम करेगा: जीएसटी प्रत्येक चरण पर लगने वाला कर है जिसमें विक्रेता टैक्स क्रेडिट के माध्यम से चुकाए गए कर का सामंजन (एडजस्टमेंट) करता है। इसलिए अंतिम उपभोक्ता उतनी ही जीएसटी का भुगतान करेगा जो कि आपूर्ति प्रक्रिया में अंतिम विक्रेता वसूल करता है और इसके पहले के स्तरों पर वसूला जाने वाला जीएसटी सेटऑफ लाभ के अन्तर्गत आ जाता है।

वैट की तुलना में जीएसटी प्रणाली में कर का बोझ कैसे कम होगा: राज्य वैट में टैक्स पर टैक्स लगता जाता है। जिससे अंतिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ना है जबकि जीएसटी प्रणाली में उत्पादक के स्तर से खुदरा विक्रेता के स्तर तक हर सेल प्वाइंट पर सामंजन मिलता जाएगा।

जीएसटी से उद्योग, व्यापार एवं कृषि को कैसे लाभ होगा? जीएसटी प्रणाली में इनपुट टैक्स सेट ऑफ तथा सेवा कर सेटऑफ केन्द्रीय बिक्री कर अनेक राज्यस्तरीय कर के समाहित होने तथा सीएसटी के फेजआउट होने से कर का बोझ कम होगा।

छोटे उद्योगों को लाभ : वर्तमान में विभिन्न राज्य में वैट एक के अन्तर्गत न्यूनतम बिक्री की सीमा जिसके नीचे वैट नहीं लगता है वो अलग-अलग है। बड़े राज्यों में वर्तमान में यह सीमा 5 लाख है। प्राधिकृत समिति इस सीमा को बढ़ाने की बात सोच रही है। इससे छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इसपर भी विचार हो रहा है कि केन्द्रीय जीएसटी के लिए भी न्यूनतम सीमा को ऊंचा रखा जाए जिससे छोटे उद्योगों को लाभ हो।

सामान्य उपभोक्ताओं को कैसे लाभ होगा? : वैट की खामियों को जीएसटी के अन्तर्गत दूर कर देने से वस्तुओं की लागत अप्रत्यक्ष कर का बोझ कम होने से घटेगी। इससे अंतिम उपभोक्ताओं को कम मूल्य का लाभ मिलेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.7.2014)

एक हजार रुपये महीने न्यूनतम पेंशन को मंजूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट पर अब उन्हें हर महीने कम से कम एक हजार रुपये पेंशन मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री विष्णुदेव साई ने लोकसभा में दी। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन देना मंजूर कर लिया है। पेंशन में यह बढ़ोतरी इस वर्ष एक अप्रैल से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 28 लाख मौजूदा पेंशनधारी फौरी तौर लाभान्वित होंगे।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.7.2014)

बिहार में मछली उत्पादन बढ़ाने को खुलेगा शोध केंद्र

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पटना केंद्र तैयार कर रहा है कार्ययोजना भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर) बिहार में मत्स्य आधारित समेकित खेती के लिए अनुसंधान केंद्र खोलेगा। इस आशय की कार्ययोजना आईसीएआर के पटना केंद्र से तैयार किया जा रहा है। केंद्र खुलने से राज्य में मछली उत्पादन कैसे बढ़े, इस दिशा में ठोस काम ही संकेगा।

● 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट पर ● 1 टन प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिहार में होता है मछली का उत्पादन ● 2.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन का है राष्ट्रीय औसत।

(साभार, हिन्दुस्तान, 23.7.2014)

बिहा में हीरो साइकिल प्रोजेक्ट पर काम शुरू

बिहार में उद्योग-धंधों का विकास होगा तो पलायन पर रोक लग जाएगी। राज्य सरकार इस संबंध में पहल कर रही है। देश के बड़े उद्योगपतियों की नजर

बिहार पर है। बिहा के अमहरा में हीरो साइकिल की सिटीजन बाइक्स व पामटेक कंपनी की परियोजना के लिए हुए भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए हीरो साइकिल कंपनी के एम.डी. पी. के. मुंजाल ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज दूसरे बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण कर रहे हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 23.7.2014)

छोटी कंपनियों आएंगी अब पीएफ के दायरे में

पीएफ जमा के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 20 से घटाकर 10 करने पर विचार भविष्य निधि जमा के लिए वेतन की ऊपरी सीमा बढ़ाने के बाद सरकार अब ज्यादा कंपनियों को इसके दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। अभी 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आती हैं। इसे घटाकर 10 कर्मचारी करने पर विचार किया जा रहा है। श्रम राज्यमंत्री ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए ईपीएफ एक्ट 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है। श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव कब से लागू होगा, अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। नए प्रस्ताव से कितने कर्मचारियों को फायदा होगा इसका आकलन नहीं किया गया है।

यूनियंसल नंबर से ठेका श्रमिकों को फायदा: ईपीएफ खाताधारकों को यूनियंसल अकाउंटिंग नंबर (यूएन) जारी करने के सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। उद्योग चैंबर फिक्की ने कहा है कि इससे ठेके और कम समय के लिए काम करने वाले तीन करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को फायदा मिलेगा। ये लोग अभी पीएफ का पैसा कटवाने से विरोध करते हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 21.7.2014)

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21

बिहार सरकार का उपक्रम

विद्युत् उपभोक्ता बिलिंग, नया विद्युत् कनेक्शन, ट्रांसफार्मर जलने अथवा विद्युत् आपूर्ति संबंधी शिकायतें अपने-अपने विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डलों के निम्नलिखित कस्टमर केयर सेंटर में करें।

ये केन्द्र 24 घंटे कार्यरत हैं। उपभोक्ता शिकायत करने के क्रम में अपना उपभोक्ता संख्या अवश्य बतायें तथा शिकायत से संबंधित शिकायत संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर लें।

स्थान का नाम

विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, मसौढ़ी
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, बिहारशरीफ
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, गया (श.)
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, सासाराम
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, डेहरी आन सोन
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, भागलपुर (ग्रा.)
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, मुंगेर
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, जमुई
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, फतुहा
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, बिहटा
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, राजगीर
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, नवादा
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, गया (ग्रा.)
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, शेरघाटी
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, भभुआ (कैम्पू)
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, बाँका
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, लखीसराय
विद्युत् आपूर्ति प्रमण्डल, शेखपुरा
पेसू क्षेत्र

दूरभाष संख्या

0612-2434253
0611-2235238
0631-2210219
06184-222028
06184 250030
0641-2400963
06344-222069
06345-224831
0612-2440600
06115-252552
0611-2255329
06324-290001
0631-2210219
06326-242461
06114-222020
06189-223252
06424-290124
06346-232194
06341-223122
0612-2280014
0612-2285032
0612-2280024

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2014)

चैम्बर के नये सदस्यों का स्वागत



शिवम इन्टरप्राइजेज के प्रोपराइटर श्री पंकज कुमार को सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारिगण ।



स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज के पार्टनर श्री अमित मुखर्जी को सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारिगण ।

दिनांक 10 मई, 2014 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिनकी सदस्यता स्वीकृत हुई थी, उनका दिनांक 26 जुलाई, 2014 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर स्वागत किया। इस बैठक में अपरिहार्य कारणवश एक सदस्य उपस्थित नहीं हो पाये थे। 10 मई, 2014 को जिनकी सदस्यता स्वीकृत हुई थी, वे हैं:- (1) मेसर्स शिवम इन्टरप्राइजेज, 2M/60, महात्मा गाँधी नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020 (2) मेसर्स मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द्वारा - परिधान, मेन रोड, मोतीहारी- 845401 एवं (3) मेसर्स स्टैण्डर्ड इंडस्ट्रीज, 35, न्यू मार्केट, पटना- 800001

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बदलेगा पीपीपी मॉडल

विजली, सड़क, रेल और विमानन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के मौजूदा मॉडल में संशोधन कर इसे लचीला बना सकती है। इसके तहत नाकाम कंपनी के कांटेक्ट को रद्द करने और नए सिरे से निविदा प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान किया जा सकता है। सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए इनके कांटेक्ट में 'ट्रैफिक ट्रिगर' उपबंध जोड़े जाने की संभावना है। इसके तहत यातायात का पूर्व निर्धारित स्तर प्राप्त होते ही कंसेशनरियर के लिए उसे चौड़ा करना अनिवार्य होगा।

समीक्षा में सुझाव : • पीपीपी के मौजूदा मॉडल को बनाया जाए लचीला

• ताकि रद्द किया जा सके नाकाम कंपनी का कांटेक्ट • सड़क चौड़ीकरण को कांटेक्ट में खास उपबंध संभव। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.7.2014)

राज्य के छोटे व्यापारी भी आएंगे टैक्स के दायरे में

पाँच लाख से अधिक का व्यवसाय करने वालों पर नजर

वाणिज्य कर विभाग सालाना पाँच लाख रूपए से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी टैक्स के दायरे में लाएगा। विभाग छोटे व्यापारियों का निबंधन करने का प्लान कर रहा है जो शहर के मोहल्लों में कारोबार कर रहे हैं।

विभाग यह कार्रवाई केवल पटना में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में करने जा रहा है। बताया जाता है कि ऐसे व्यापारियों की संख्या लाखों में है। इसके लिए विभाग सबसे पहले पटना के थोक व्यापारी एवं कंपनियों से आंकड़े जुटा रहा है कि उन्होंने किन-किन डीलरों को सामान बेचा है। अगर थोक व्यापारी गलत आंकड़े देते हैं तो उसका मिलान कंपनी कार्यालय से किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

लघु करदाता योजना : जो व्यापारी राज्य में सालाना 40 लाख का कारोबार करते हैं, वे मात्र 10 हजार टैक्स देता है। अगर व्यापारी चाहे तो इस टैक्स को हर छह माह पर 5-5 हजार रूपय दे सकता है। इस स्कीम में आने वाले व्यापारियों को

साल में एक ही बार रिटर्न दाखिल करना होगा।

नई व्यवस्था : • वाणिज्य कर विभाग राजधानी के व्यापारियों का जुटा रहा आंकड़ा • गलत आंकड़े देने वालों के खिलाफ विभाग करेगा कार्रवाई

• 2.5 लाख रजिस्टर्ड डीलर हैं पूरे प्रदेश में • 18 लाख है पूरे बिहार में डीलरों की संख्या • 40 हजार व्यापारी पटना में करते हैं कारोबार

प्राथमिकी भी हो सकती है : कोई व्यापारी नियम का पालन नहीं करता है तो विभाग न सिर्फ पेनाल्टी की कार्रवाई करेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो व्यापारी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।

नियम का पालन हो : रजिस्ट्रेशन के लिए पाँच लाख को बढ़ाकर 25 लाख किया जाना चाहिए। (साभार: हिन्दुस्तान, 4.8.2014)

मालवाहक वाहनों का बिना रुके होगा वजन

पटना जीरोमाइल पर लगेगी 'वेइंग इन मोशन' मशीन

ओवर लोडिंग पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने वेइंग इन मोशन मशीन लगाने जा रहा है, जिससे बिना रुके मालवाहक वाहन का तौल कर लिया जाएगा और क्षमता से अधिक भार होने पर अधिकारी वाहन को पकड़ कर उचित कार्रवाई कर सकें।

राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गांधी सेतु ओवर लोडेड वाहनों के कारण ही अंतिम सांस गिन रहा है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश का कहना है कि जब तक मालवाहक वाहनों पर ओवर लोडिंग नहीं बंद होगी, सड़क और पुल की स्थिति खराब ही रहेगी। इसपर रोक लगाने के लिए वेइंग इन मोशन मशीन लगाई जा रही है।

इससे माल वाहक वाहन को बिना रुके तौल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मशीन फतुहा, बिहटा, मसौदी और पटना के जीरो माइल पर लगाया जाएगा। कहा-जब अधिक संख्या में गड़ियों की चेकिंग शुरू होगी, तो ओवर लोडिंग पर रोक लगेगी। इससे सड़क की उम्र भी बढ़ सकती है। (दैनिक भास्कर, 7.8.2014)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505

E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org